झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

–:: अधिसूचना ::–

रांची, दिनांक–14 नवम्बर, 2005

संख्या–7/वि०वि०सं०–03–97/2005 का०.....3889...../सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखंड सूचना का अधिकार (अपील की विधि) नियम, 2005 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) यह सम्पूर्ण झारखंड राज्य में प्रभावी होगा ।

2. परिभाषाएँ –

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) 'अधिनियम' से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ख) 'धारा' से उक्त अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से झारखंड सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(घ) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. अपील दायर करने की प्रक्रिया :–

अपील दायर करते समय अपीलकर्त्ता द्वारा आयोग को निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध करानी होगी :–

(क) अपीलकर्त्ता का नाम और पता;

(ख) लोक सूचना पदाधिकारी का नाम और पता;

(ग) लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा पारित जिस आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया जा रहा हो की संख्या एवं तिथि सहित विवरणी;

(घ) अपील हेतु संक्षिप्त तथ्य;

(ङ) प्रार्थना या दावा किया गया अनुतोष;

6. आयोग द्वारा नोटिस तामिला की प्रक्रिया :-

आयोग द्वारा निर्गत नोटिस को निम्नांकित माध्यमों से तामिला कराया जा सकता है :-

(क) पक्षकार द्वारा अपने स्तर से तामिला कराना

(ख) प्रोसेस पिउन के माध्यम से (दस्ती) हाथो-हाथ तामिला कराना

(ग) पावती के साथ निबंधित डाक द्वारा, अथवा

(घ) कार्यालय प्रधान अथवा विभाग के माध्यम से ।

7. आदेश पर हस्ताक्षर :-

आयोग द्वारा खुले कार्यवाही में दिया गया आदेश लिखित होगा तथा यह आयोग द्वारा इस हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सत्यापित होगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(भुवनेश्वर सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-7/वि०वि०सं०-03-97/2005 का०.....3889...../रांची, दिनांक-14 नवम्बर, 2005

प्रतिलिपि- झारखंड सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इसकी 200 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-7/वि०वि०सं०-03-97/2005 का०.....3889...../रांची, दिनांक-14 नवम्बर, 2005

प्रतिलिपि- सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी निगम/ निकाय/ उपक्रम/ गैर सरकारी संस्थाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव ।